

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: प. / मुसप्र/आरक्षण कोटा/2012/3151 दिनांक:- 12-4-12


### कार्यालय आदेश

मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम-1970 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित आरक्षण प्रावधानों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये सभी आदेशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार आरक्षण का प्रावधान किया जाता है:-

क्र. सं.	आवेदक की श्रेणी	MIG-A,B, HIG वर्ग के लिए	EWS / LIG वर्ग के लिए
1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	30 प्रतिशत  10 प्रतिशत	16 प्रतिशत  10 प्रतिशत
2	सामान्य श्रेणी केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स	27.25 प्रतिशत 5 प्रतिशत	36 प्रतिशत -
3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
4	अनुसूचित जाति	8 प्रतिशत	16 प्रतिशत
5	अनुसूचित जन जाति	6 प्रतिशत	12 प्रतिशत
6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार	2.5 प्रतिशत	-
7	स्वतन्त्रता सेनानी	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत
8	भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1 प्रति.	1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1 प्रति.
10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक	0.75 प्रतिशत	-
11	ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.5 प्रतिशत	-
<b>योग</b>		<b>100 प्रतिशत</b>	<b>100 प्रतिशत</b>


उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक आवास आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष आरक्षित आवास सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किये जायेंगे।

उक्त आरक्षण मण्डल की नवीन पंजीकरण योजनाओं पर प्रभावी होंगे।

  
(पवन कुमार गोयल)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य अभियन्ता/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3 वरिष्ठ निजी सहायक-वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा.आ.म. जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम, रा.आ.म. जयपुर।
- 5 उप आवासन आयुक्त, वृत्त ..... रा.आ.म. ....।
- 6 आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... रा.आ.म. ....।
- 7 जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 8 एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेब साइट पर डालने तथा सभी वृत्त कार्यालयों को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित है।
- 9 रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक